F. No.2-32/2026/Legal/4053

कार्यालय / Office

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, New Delhi

प्रशासनिक अनुभाग / Administrative Department

वेबसाइट / www.lbspstc.com

****

दिनांकः 20-05-2026

प्रति,

प्राचार्य / प्रबंधक,

मूनलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थकेयर

उधमसिंह सारणी आश्रम पारा वार्ड 13 सिलीगुड़ी

जिला– दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल पिन कोड–734001,

विषयः– काउंसिल के प्रति देय बकाया / शुल्क का निर्धारित समयावधि के भीतर भुगतान न किए जाने, वैधानिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्वों की सतत अवहेलना, तथा संस्थागत लापरवाही के परिणामस्वरूप छात्र–छात्राओं के परीक्षा परिणाम रोके जाने एवं संबंधित संस्था के विरुद्ध प्रस्तावित विधिक / दंडात्मक कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः– काउंसिल कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत शुल्क जमा संबंधी नोटिस, अनुस्मारक पत्र, प्रशासनिक परिपत्र, दूरभाषीय / लिखित संप्रेषण तथा देय बकाया के निस्तारण हेतु पूर्व में प्रदान किए गए अंतिम अवसर।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में यह आपको विधिवत अधिसूचित एवं अवगत कराया जाता है कि **लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल** द्वारा आपके संस्थान के विरुद्ध देय बकाया / शुल्क के भुगतान हेतु समय–समय पर परिपत्र, नोटिस, अनुस्मारक तथा अन्य आधिकारिक संप्रेषण निर्गत किए गए थे, जिनके माध्यम से आपको निर्धारित समयावधि के भीतर समस्त वित्तीय दायित्वों के निर्वहन हेतु स्पष्ट एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

तथापि, यह अत्यंत गंभीर एवं खेदजनक तथ्य अभिलक्षित हुआ है कि आपके संस्थान द्वारा उक्त निर्देशों, नोटिसों एवं प्रशासनिक आदेशों की निरंतर अवहेलना की गई तथा निर्धारित अवधि के भीतर देय शुल्क / बकाया का भुगतान जानबूझकर अथवा गंभीर संस्थागत लापरवाहीवश नहीं किया गया। फलस्वरूप, काउंसिल को प्रशासनिक एवं वैधानिक विवशता में आपके संस्थान के अधीन अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं के परीक्षा परिणाम आगामी आदेशों तक रोके रखने की कार्यवाही अपनानी पड़ी है। आपके संस्थान की उक्त चूक, उदासीनता एवं दायित्वहीन कार्यप्रणाली के कारण न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित,

भविष्य एवं वैध अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, अपितु काउंसिल की विधिक, प्रशासनिक एवं नियामकीय कार्यवाहियां भी प्रत्यक्ष रूप से बाधित हुई हैं। इस प्रकार की लापरवाही से काउंसिल की संस्थागत साख, विश्वसनीयता, अनुशासनात्मक व्यवस्था तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठा को भी गंभीर क्षति पहुंची है, जिसके लिए संबंधित संस्थान, उसका प्रबंधन एवं उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी माने जाएंगे।

अतएव, आपको यह अंतिम एवं निर्णायक अवसर प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देशों/आदेशों का तत्काल प्रभाव से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बाध्य किया जाता है:—

1. तत्काल बकाया भुगतानः— काउंसिल के प्रति देय समस्त बकाया शुल्क, देयक एवं प्रभारों का, यदि लागू हो तो विलंब शुल्क/अन्य प्रभार सहित, तत्काल एवं एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
2. **लिखित स्पष्टीकरणः**— आपके संस्थान द्वारा हुई उक्त गंभीर लापरवाही, वित्तीय अननुपालन एवं काउंसिल के आदेशों की अवहेलना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर सहित विस्तृत, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
3. **भविष्य में समयबद्ध अनुपालनः**— यह लिखित आश्वासन प्रस्तुत किया जाए कि भविष्य में काउंसिल द्वारा जारी सभी नियमों, परिपत्रों, वित्तीय दायित्वों एवं प्रशासनिक निर्देशों का निर्धारित समय—सीमा के भीतर पूर्ण एवं निर्विवाद अनुपालन किया जाएगा।
4. **विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाईः**— यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपर्युक्त समस्त बिंदुओं का पूर्ण अनुपालन नहीं किया जाता है, तो काउंसिल को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह आपके संस्थान के छात्रों के परिणाम यथावत रोके रखे, परिणाम निरस्त करने पर विचार करे, संबद्धता/मान्यता के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की संस्तुति करे, आर्थिक दंड अधिरोपित करे तथा सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपयुक्त विधिक, प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्यवाही संस्थित करे।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन हर हाल में दिनांक 24/05/2026 तक सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

इस पत्र को अंतिम चेतावनी, विधिक सूचना एवं कठोर प्रशासनिक निर्देश के रूप में ग्रहण किया जाए। यदि निर्दिष्ट तिथि तक संतोषजनक स्पष्टीकरण तथा समस्त देय बकाया का भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो काउंसिल बिना किसी अतिरिक्त सूचना, अनुस्मारक अथवा अवसर के, आपके विरुद्ध एकतरफा किन्तु विधिसम्मत कठोर प्रशासनिक, वित्तीय, संबद्धतामूलक एवं विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी, परिणामी दायित्व एवं दुष्परिणामों का उत्तरदायित्व पूर्णतः संस्थान प्रबंधन पर ही आरोपित होगा।

सचिव,

A. Giri

लाल बहादुर शास्त्री कौशल
एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।

प्रष्ठांकन संख्याः– F.2-32/2026 / प्रशासनिक अनुभाग / 4053 दिनांकः 20/05/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अध्यक्ष**, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
2. **सचिव**, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
3. **परिक्षा नियंत्रक**, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
4. **निदेशक**, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
5. परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
6. गार्ड फाइल।

A. Giri

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

लाल बहादुर शास्त्री कौशल
एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।

F. No.2-32/2026/Legal/4053
कार्यालय / Office
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, New Delhi
प्रशासनिक अनुभाग / Administrative Department
वेबसाइट / www.lbspstc.com
****

Dated: 20/05/2026

To,

The Principal / Manager,
Moonnight Institute Of Allied Healthcare
Udhamsingh Sarani Ashram Para Ward No 13 Silguri
Darjeeling West Bengal Pin Code-734001

Subject: Regarding the non-payment of outstanding dues/fees within the prescribed time limit, continuous violation of statutory, financial, and administrative obligations, withholding of students' examination results due to institutional negligence, and proposed legal/penal action.

Reference: Notices, reminder letters, administrative circulars, telephonic/written communications issued from time to time by the Council office, and final opportunities previously granted for the settlement of outstanding dues.

Sir/Madam,

With reference to the subject cited above, you are hereby duly notified and informed that the **Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council** has issued various circulars, notices, reminders, and other official communications to your institution from time to time. Through these communications, you were granted clear and sufficient opportunities to discharge all financial obligations and clear the outstanding dues/fees within the stipulated time limit.

However, it is a matter of grave concern and regret that your institution has continuously ignored and violated the said directives, notices, and administrative orders, deliberately or due to gross institutional negligence, failing to remit the prescribed dues within the required timeframe. Consequently, under administrative and statutory compulsion, the Council has been forced to withhold the examination results of all students currently enrolled in your institution until further orders.

This sheer negligence, apathy, and irresponsible conduct on the part of your institution have not only adversely affected the academic interests, future, and legitimate expectations of the students but have also directly hindered the legal, administrative, and regulatory proceedings of the Council. Such negligence has caused serious damage to the institutional reputation, credibility, disciplinary system, and public standing of the Council, for which the concerned institution, its management, and responsible administrative officers shall be held fully liable.

Therefore, granting you this final and decisive opportunity, you are strictly directed and obligated to ensure the literal compliance of the following directives/orders with immediate effect:

- **Immediate Payment of Outstanding Dues:** Ensure the immediate and lump-sum payment of all outstanding fees, dues, and charges payable to the Council, including late fees/other applicable charges if any.

- **Written Explanation:** Submit a detailed, factual, and satisfactory written explanation signed by the competent authority regarding the gross negligence, financial non-compliance, and disregard of the Council's orders by your institution.

- **Time-bound Future Compliance:** Provide a written assurance that in the future, all rules, circulars, financial obligations, and administrative directives issued by the Council shall be complied with strictly and fully within the prescribed time limits.

- **Legal and Penal Action:** If full compliance with all the above points is not achieved within the prescribed period, the Council reserves the absolute right to continue withholding the results of the students of your institution, consider cancellation of results, recommend suspension or cancellation of affiliation/recognition, impose financial penalties, and initiate appropriate legal, administrative, and penal proceedings before the competent authority/court against you.

Compliance with the above directives must be strictly ensured no later than 24/05/2026

This letter should be strictly treated as a final warning, a legal notice, and a stringent administrative directive. If a satisfactory explanation and the payment of all outstanding dues are not received by the specified date, the Council shall be at liberty to initiate ex parte, lawful, and rigorous administrative, financial, affiliation-related, and legal action against you without any further notice, reminder, or opportunity. The entire responsibility and liability for the consequences thereof shall rest solely upon the institution's management.

Secretary,
A. Giri
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council.

Dispatch No.: F.2-32/2026 / Administrative Section / **Date: 20/05/2026**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. **Chairman, LBSPSTC.**
2. **Secretary, LBSPSTC.**
3. **Controller of Examinations, LBSPSTC**
4. **Director, LBSPSTC For display on the Council's website.**
5. **Guard File.**

A. Giri
सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council